(81)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/गुना/भू.रा./2017/1730 विरूद्ध आदेश दिनांक 20.03.2017 पारित द्वारा अपर कलेक्टर, जिला गुना प्रकरण क्रमांक 01/2016-17/निगरानी.

संग्राम सिंह पुत्र श्री भैयालाल यादव
निवासीग्राम बूढाडोंगर तहसील आरोन,
जिला आरोन, म.प्र. .....आवेदक

विरूद्ध

श्रीमती सीताबाई पत्नी इन्द्रसिंह यादव
निवासी ग्राम नौहर तहसील व जिला गुना .....अनावेदक

श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी, अभिभाषक, आवेदक
श्री बृजेन्द्र सिंह धाकड़, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 27/11/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर कलेक्टर, जिला गुना द्वारा पारित दिनांक 20.03.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदिका सीताबाई द्वारा विक्रय पत्र दिनांक 15.12.2009 के आधार पर दिनांक 22.09.2015 को ग्राम बूढाडोंगर तहसील आरोन में स्थित कृषि भूमि सर्वे नं. 164/2-ख/2 रकबा 1.045 हैक्टेयर पर नामांतरण किये जाने हेतु एक आवेदन पत्र

तहसीलदार, परगना आरोन के समक्ष पस्तुत किया गया। तहसीलदार द्वारा प्रकरण क. 150/अ-6/15-16 दर्ज कर अनावेदिका का उक्त प्रकरण दिनांक 14.07.2016 को अदम पैरवी में समाप्त कर दिया गया और प्रकरण दाखिल रिकॉर्ड किये जाने का आदेश दिया गया। प्रकरण अदम पैरवी में निरस्त किये जाने के पश्चात् अनावेदिका द्वारा प्रकरण पुन: नंबर पर लिये जाने के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया, जो आदेश दिनांक 10.08.2016 से स्वीकार किया गया। तहसीलदार के उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा अपर कलेक्टर, जिला गुना के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई। अपर कलेक्टर द्वारा प्रकरण क्र. 01/निगरानी/16-17 दर्ज कर आदेश दिनांक 20.03.2017 से निगरानी निरस्त की गई। अपर कलेक्टर के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) विचारण न्यायालय का आदेश आवेदक की उपस्थिति में पारित किया गया था। ऐसी स्थिति में प्रकरण को पुन: स्थापित किये जाने से पूर्व सूचना सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर दिया जाना चाहिए था और उन्हें सुनवाई का अवसर दिये बिना जो आदेश पारित किया गया है। वह नितांत अवैध एवं अनुचित होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

(2) यदि प्रकरण में उभय पक्ष की उपस्थिति में कोई आदेश पारित किया गया है, तब ऐसी स्थिति में आगामी आदेश एवं कार्यवाही उभय पक्ष की उपस्थिति में ही की जायेगी। चूंकि इस प्रकरण में आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है, जो अपास्त किये जाने योग्य है।

(3) विचारण न्यायालय द्वारा विधिवत विचार करने के पश्चात् प्रकरण में कार्यवाही की जाकर आदेश पारित किया था। ऐसी स्थिति में उक्त आदेश को निरस्त किये जाने से पूर्व उपस्थित पक्षकार को सुनवाई का अवसर दिया जाना न्यायहित में आवश्यक था, जिस पर विचार किये बिना जो आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया है, वह अपास्त किये जाने योग्य है।

(4) जिस समय एकपक्षीय आदेश या मामला अनुपसंजाति में खारिज करने का आदेश दिया गया हो, यदि उस समय अन्य पक्षकार उपसंजात हो, तब उस आदेश को अपास्त करने के

आवेदन पर विचार करने के पूर्व ऐसे उपस्थित पक्षकार या पक्षकारों को सूचना देना आवश्यक है, किंतु उपरोक्त वैधानिक स्थिति पर विचार किये बिना जो आदेश विचारण न्यायालय एवं पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा पारित किया गया है, वह अपास्त किये जाने योग्य है।

(5) अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश एक स्वेच्छाचारी एवं मनमाने आदेश होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

अत: उनके द्वारा निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

4/ अनावेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिसंगत आदेश पारित किया गया है, जो कि स्थिर रखे जाने योग्य है। तर्क में यह भी कहा गया कि तहसीलदार एवं अपर कलेक्टर के समवर्ती निष्कर्ष हैं, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है। अत: उनके द्वारा निगरानी निरस्त करते हुए अधीनस्थ न्यायालय का आदेश स्थिर रखने का अनुरोध किया गया।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय के रेस्टोरेशन में पारित आदेश के विरूद्ध आवेदक ने अधिकारविहिन प्रथम निगरानी अपर कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत की थी जो निरस्त करने में अपर कलेक्टर द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है । क्योंकि मूल प्रकरण का गुणदोष पर निराकरण ही श्रेयस्कर होता है अत: आवेदक द्वारा प्रस्तुत दूसरी निगरानी में कोई बल प्रतीत नहीं होने से यह निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर कलेक्टर, जिला गुना द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.03.2017 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)

अध्यक्ष

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश

ग्वालियर